न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटका[सिम]

दिनांक	संक्षिप्त आदेश / हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ०
29/5/18	प्रार्थी हरिसिंह की ओर से अधिवक्ता पर प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रति सं. 2 सुरजो ने प्रतिवादी सं. 1 रामधन के हक में [illegible] रिलीजडीड की है उसे वादी के हक हिस्से तक नाम खारिज बातिल को बेअसर घोषित करवाया किया जाकर वादी को उसका हिस्से का स्वामित्व घोषित किया जावे। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अस्थायी [illegible] किया गया। प्रार्थी सं. 2 सुरजो ने प्रतिवादी सं. 6 रामधन के हक में जो रिलीज डीड की है उसे वादी के हक हिस्से तक नाम खारिज बातिल किया जाकर एवं वादी को उसका हिस्से का स्वामित्व कानूनन घोषित किया जाता है। रजिस्ट्री अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर (राज०)

पीठासीन अधिकारी- श्री विरदा सिंह मीना R.A.S

मु.नं.	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
151/17	15.9.2017	20/03/2018

उनवान

[1] होशियार सिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी नंगलीजारसाज तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज०)

-वादी

बनाम

[1] जगदीश पुत्र रमजु

[2] सुरजी पुत्री रमजु

[3] बलवन्त

[4] सतीश पुत्रान सुरजान

[5] किताबो देवी पत्नि सुरजान

[6] रामपत पुत्र रमजु जाति जाट निवासी पतलिया तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज०)

-प्रतिवादीगण

दावा डेकलरेशन मय हुकुमइम्तनाई स्थाई
मय रक्षण दुरुस्ती जेर धारा 88,89,188 राज. काश्त. अधि. 1955

उपस्थित :-

[1] श्री भगवान सहाय अभिभाषक वादी

वादी ने मय वकील इस न्यायालय में उपस्थित होकर स्वत्व वाद डेकलरेशन मय रक्षण दुरुस्ती वो हुकुमइम्तनाई स्थाई जेर धारा 88, 89, 188, राज. काश्त. अधिनियम 1955 का इस आशय का पेश किया। कि विवादित आराजी खसरा नं. 670 रकबा 0.1100 हैक्टेयर (07 बिस्वा) का 1/4 भाग ग्राम पतलिया तहसील कोटकासिम जो वाद पत्र में विवादित आराजी है। विवादित आराजी प्रति. सं. 1 जगदीश, प्रति. सं. 2 सुरजी, व प्रति. सं. 3 लगा. 5 के मृतक पिता/पति श्री सुरजान की काश्त खातेदारी की आराजी थी। जिस पर वो काबिज वो दाखिल है। उन्होंने उक्त विवादित आराजी का बेचान मिन वादी को दिनांक

लगातार

30.11.1992 को मुब० 10,500/- रुपये में बाजाब्ता बाकब्जा बेचान किया था जिसका विधिवत बैनामा तहरीर व तकमील कराकर उप पंजीयक महोदय किशनगढ़-बास (अलवर) के यहां दिनांक 30.11.1992 को क्रमांक 1238 पर पंजीबद्ध कराया हुआ है। विवादित आराजी पर कब्जा खरीद से ही मिन वादी शांति पूर्वक मालिकाना व खातेदाराना तौर पर काश्त काश्तकार करते चले आ रहे हैं, मौके पर मिन वादी का वास्तविक कब्जा है एवं फसल काश्त की हुई है। बाद बेचान विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई लेना देना सरोकार व सम्बन्ध नहीं रहा है। मिन वादी विवादित आराजी का बोनाफाईड परचेजर फोर वैल्यू कन्सीडरेशन विद गुडफेथ मालिक खातेदार काश्तकार काबिज व दाखिल है। मिन वादी ने बाद पंजीबद्ध होने बैनामा असल इन्तकाल दरखास्त की बाबत तहसील दे दिया था। जिन्होंने कुछ दिन बैनामा अपने पास रखते हुए वापस लौटाते हुए बोल दिया कि आपके बैनामा का इन्तकाल दर्ज हो जायेगा।

मिन वादी द्वारा आराजी खरीद करने के पश्चात विक्रेता सुरजन की मृत्यु हो गई जिसकी विधवा प्रति० सं० 3 कमला ने अपने हक में दर्ज कराकर रिकार्ड में अंकन करा लिया तथा प्रति० सं० 2 सुरजो ने विवादित आराजी में से अपने हिस्से में से 1/6 भाग का हिबानामा प्रति० सं० 1 व 6 के हक में करा दी तथा 1/12 भाग का दान प्रति० सं० 2 ने प्रति० सं० 5 कितबो देवी के नाम करा दिया जिन दोनों दस्तावेज के आधार पर विवादित आराजी में से विक्रेता सुरजो का हिस्सा प्रतिवादी सं० 1, 6 व प्रति० सं० 5 के नाम दर्ज रिकार्ड हो गया है, जो समस्त अंकन बाद विक्रय खरीद गलत, खिलाफ कानून, खिलाफ मौका विपरीत रिकार्ड आज गलत हुआ है। जो हकूक वादी के विरुद्ध बातिल व बेअसर है, ना काबिल पाबंदी है, काबिल दुरुस्ती है। मिन वादी ने दिनांक 29.8.2017 को इन्तकाल दरखास्त ले तहसील गांव की बाबत जानकारी चाही तब गलत अंकन का ज्ञान हुआ। प्रतिवादीगण से दुरुस्ती कराने को कहा तो साफ इन्कार हो गये। अतः मिन वादी को नालिश दायर करनी पड़ी

निम्नानुसार —

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

बेयनामा के आधार पर विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई स्थाई से पाबन्द किया जावे।

दावा हाजा रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड ~~[illegible]~~ तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री राजकुमार एड. ने वकालतनामा जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादी सं. 2 लगा. 6 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध दिनांक 14.11.2017 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस विद्वान अभिभाषक सुनी गई। विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया और कहा कि विवादित आराजी खसरा नं. 670 रकबा 0.1100 हैक्टेयर ग्राम पतलिया (09 बिस्वा) का 3/4 भाग प्रतिवादी सं. 1 जगदीश, प्रतिवादी सं. 2 सूरजी व प्रतिवादी सं. 3 लगा. 5 के पिता (पति सूरजमल) से जरिये रजिस्टर्ड बेयनामा दिनांक 30.11.1992 को खरीद किया और वक्त खरीद से मौके वादी काबिज काश्त है। रिकार्ड में मौके वादी का नाम दर्ज नहीं हुआ। सूरजमल की फौतगी के बाद राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी का इन्तकाल प्रतिवादी गण के नाम दर्ज हो स्वीकार हो गया। प्रतिवादी सं. 2 ने विवादित आराजी में से अपने हिस्से में से 1/6 भाग की रिलीज, प्रतिवादी सं. 1 व 6 के हक में करादी तथा 1/12 भाग का दान प्रति. सं. 2 ने प्रतिवादी सं. 5 किशन देवी के नाम करा दिया जो नाजायज तौर से कराया गया है। विवादित आराजी का मौके वादी ने रजिस्टर्ड बेयनामा करवाया है जो पूर्व का है। मौके पर मौके वादी काश्त कर रहा है। अतः बाद विक्रय जो अंकन राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी के नाम का आया है वो तथा जो रिलीज प्रतिवादी सं. 2 ने प्रतिवादी सं. 1 व 6 के हक में की है तथा जो दान प्रतिवादी सं. 2 ने प्रतिवादी सं. 5 के हक में किया है वो तथा इसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में आया अंकन हक मुद्दई वादी के विरुद्ध बातिल व बेअसर है जिसे खारिज किया जाकर वादी के नाम बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड किया जावे व प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई स्थाई से पाबन्द किया जावे।

लगातार

Scanned by CamScanner

बहस दौरान अधिवक्ता वादी पक्ष अवगत किया एवं पत्रावली एवं समस्त दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विक्रय पत्र दिनांक 30.11.92 जो जगदीश, सूरजन व सूरजी ने ख.नं. 670 रकबा 0-09 बिस्वा में से 3/4 भाग का बेचान हरिराम पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी मंगलीबास को किया है। नामान्तकरण सं. 2070-2073 का अवलोकन किया जिसमें क्र.सं. 1163 व 1164 जो 2016 में दर्ज किये गये। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.11.1992 का है। जिसमें विवादित आराजी को प्रतिवादी सं. 1, 2 व 3 तथा 5 के पिता/पति ने बेचान किया है। प्रतिवादी सं. 1 ने अपने उपस्थित जवाब दावा पेश किया जिसमें प्रति. सं. 1 ने सभी तथ्यों को स्वीकार किया और कथित किया कि मुताबिक वाद डिक्री कर दिया जावे। स्वयं शपथ पत्र में भी विवादित आराजी वादी को स्वीकृत कर दी है।

अतः वादी का वाद इस कदर डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी खाता ख.नं. 670 रकबा 0.1100 हैक्टेयर (09 बिस्वा) के 3/4 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं. 1 तथा 5 का नाम हटाकर वादी के नाम का इंद्राज राजस्व रिकार्ड में किया जावे। तदनुसार पत्रावली डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20/03/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

आदेशिका

विवादित आराजी खाता ख.नं. 670 रकबा 0.1100 हैक्टेयर (09 बिस्वा) के 3/4 भाग अमल दरामद हेतु पटवारी हल्का तहसील कोटकासिम पहुंचायी जावे। (हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

प्रपत्र - डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर) राज०
पीठासीन अधिकारी - श्री बिरधा सिंह मीना R.A.S

मु.नं.	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
151/17	15.9.2017	20.3.2018

उनवान

[1] होशियार सिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी मंगलीवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज०)

-वादी

बनाम

[1] जगदीश पुत्र रामजु
[2] सुरजी पुत्री रामजु
[3] बलवन्त
[4] सतीश पुत्रान सुरजान
[5] किताब देवी पत्नि सुरजान
[6] रामफल पुत्र रामजु जाति जाट निवासी पतासिया तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज०)

- प्रतिवादीगण

दावा डेक्लरेशन व मय हुक्म इम्तनाई दवामी मय तकसीम दुरुस्ती जेर धारा 88, 89, 188 राज-काश्त० अधि० नियम 1955.

20/3/18 वादी का वाद इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नं. 670 रकबा 0.1100 हैक्टे (09 बिस्वा) के 3/4 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं. 1 लगा. 5 का नाम हटाकर वादी के नाम का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.3.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया जाकर।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

संशोधित

5/5/18 विवादित आराजी खाता ख.नं. 670 रकबा 0.1100 (03 बिस्वा) के 3/4 भाग [illegible] [illegible] परिवर्तित [illegible] कोटकासिम [illegible] करें।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner